



पत्रांक:- झा.रा.म.भो.प्रा. 17/म2-18/2015 (अंश 1)-515

दिनांक-06/10/2026

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

विषय :- अप्रैल 2026 से लंबित मध्याह्न भोजन की राशि अविलंब उपलब्ध कराने के संबंध में एवं अन्यथा की स्थिति में योजना प्रभावित होने के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग :- झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्रांक 192 दिनांक 18.09.2026 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 से पी.एम. पोषण योजना के तहत सभी प्रकार का भुगतान SNA-SPARSH प्रणाली के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। SNA-SPARSH प्रणाली के लागू होने के कारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें कई चरणों से गुजरने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाई पूर्ण होती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत विलंब से राशि उपलब्ध कराने एवं मध्याह्न भोजन संचालन हेतु तात्कालिक व्यवस्था के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है-

- SNA-SPARSH प्रणाली के लागू के कारण विभिन्न चरणों से गुजरने एवं तकनीकी कारणों से राशि उपलब्ध कराने में विलंब हुआ है।
- राशि के आवंटन में प्रक्रियात्मक विलंब को दृष्टिपथ में रखते हुए प्राधिकरण के पत्रांक 236 दिनांक 01.06.2026 से सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अतिरिक्त पोषाहार (अंडा/फल) मद में माह अप्रैल 2026 से जून 2026 तक कुल 17 दिनों एवं पत्रांक-415 दिनांक 06.08.2026 से माह जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक कुल 45 दिनों के लिए राशि आवंटित की गई है। पत्र की कंडिका-3 में यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि भारत सरकार से केन्द्रांश मद की राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मध्याह्न भोजन संचालनार्थ राशि के अभाव में अंडा/फल मद की राशि का उपयोग मेटेरियल कॉस्ट के लिए किया जा सकता है। मेटेरियल कॉस्ट की राशि प्राप्त होते ही अंडा/फल मद की राशि सामंजित करते हुए व्ययित राशि का लेखा संधारण मिल सर्वर्ड (Meal Served) के अनुसार अलग-अलग मदवार करेंगे।
- प्राधिकरण के पत्रांक 259 दिनांक 11.06.2026 से सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मेटेरियल कॉस्ट हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में PFMS Portal (पुरानी विधि) पर 4 दिनों के लिए आवंटन उपलब्ध कराया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)
- 01.04.2026 को विद्यालयों में मेटेरियल कॉस्ट मद में अवशेष राशि के उपयोग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

- v. प्राधिकरण के पत्रांक 496 दिनांक 19.09.2026 से वित्तीय वर्ष 2026-27 में SNA-SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में निर्गत प्रथम Mother Sanction की राशि से मेटेरियल कॉस्ट मद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा हेतु 112 दिन एवं बाल वाटिका हेतु 117 दिनों के लिए केन्द्रांश मद में रु. 159,13,71,000.00 एवं राज्यांश मद में रु. 106,09,14,000.00 राशि का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है।
- vi. SNA-SPARSH प्रणाली के तहत भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की गई है अतएव सभी विद्यालयों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान सीधे वेंडर/एजेंसी को किया जाना है। इस हेतु सभी जिलों/प्रखण्ड को निदेश निर्गत है।

अतएव उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में पी.एम. पोषण योजना की राशि उपलब्ध कराने से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से योजना की राशि के व्यय प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय विलंब की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो पूर्णतः अस्थायी (Temporary) है। अतः निदेश दिया जाता है कि SNA-SPARSH प्रणाली के तहत प्रखण्ड स्तरीय BEOs/BRPs/Computer Operator से समन्वय स्थापित करते हुए मध्याह्न भोजन मद में व्यय की गई राशि का विपत्र अपलोड करने की कार्रवाई की जाए ताकि संबंधित वेंडर/एजेंसी को भुगतान की प्राप्ति हो सके। वस्तुस्थिति से जिला के सभी शिक्षकों/विद्यालय प्रबंधन समिति/सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को अवगत कराते हुए योजना का संचालन किया जाए।

विश्वासभाजस

(समीरा एस०)

निदेशक, झा.रा.म.भो.प्रा.

ज्ञापांक :- झा.रा.म.भो.प्रा. 17/म2-18/2015 (अंश 1)...../15/ राँची, दिनांक 06/10/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को सूचनार्थ प्रेषित।

(समीरा एस०)

निदेशक, झा.रा.म.भो.प्रा.